छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

(दूरभाष 0771 2437003, 2437004, 2437005, 2437048, 2437006 फैक्स 0771, 2429385)

क्रमॉक/9628/गोपनीय/2017 रायपुर, दिनॉक 19-12-17

प्रति,

प्राचार्य
समस्त मान्यता प्राप्त संस्था 2017–18
हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल (छत्तीसगढ़)

विषयः– **वर्ष 2017–18 की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल व्यावसायिक/हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य परीक्षा की व्यवस्था एवं अंक प्रेषण संबंधी।**

---00---

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित की जाने वाली वर्ष 2018 की हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी/हाईस्कूल व्यासायिक/हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षाओं के नियमित रूप से सम्मिलित होने वाले छात्रों की **प्रायोगिक परीक्षाऐं एवं प्रायोजना कार्य 27 जनवरी 2018 से 15 फरवरी 2018 के मध्य संबंधित शाला में संपन्न होगी। कृपया प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि को भली–भांति अंकित कर लें तथा संबंधित शिक्षकों और छात्र/छात्राओं को भी अवगत कराये, जो परीक्षार्थी किसी भी प्रकार से अनुपस्थित रहेगें उनको किसी भी दशा में विशेष अनुमति नहीं दी जावेगी और न ही दोबारा प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराई जायेगी। ऐसी स्थिति में छात्रों को अनुपस्थित ही दर्शाया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्राचार्य/छात्र की होगी।**

1. संस्था में अध्यापन करा रहे संबंधित विषय के शिक्षको को ही आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति संस्था के प्राचार्य द्वारा पूर्व निर्देशानुसार की जावेगी।
2. आपकी शाला के प्रायोगिक विषयों के लिए नियुक्त किये जाने वाले बाह्य परीक्षकों के नाम व पते की सूचना प्राप्त होते ही आप बाह्य परीक्षकों के पते पर उनसे संपर्क स्थापित कर प्रायोगिक परीक्षा की तिथि सुनिश्चित करें। **यदि किसी कारणवश बाह्य परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा लेने में असमर्थता व्यक्त करता है तब उससे लिखित में प्राप्त करें और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तत्काल ही संबंधित समन्वय संस्था/मण्डल मुख्यालय/संभागीय कार्यालय से संपर्क कर निराकरण करायें।**
3. यह आपका दायित्व होगा कि निर्धारित समयावधि में अधिकृत बाह्य परीक्षक से ही आपकी शाला के परीक्षार्थीयों की प्रायोगिक परीक्षा संपन्न हो। **आप स्वेच्छापूर्वक बाह्य परीक्षक नियुक्ति कर प्रायोगिक परीक्षा संपन्न न करायें ऐसी संपादित कराई गई परीक्षा किसी भी स्थिति में मण्डल द्वारा मान्य नहीं की जावेगी और छात्रो के अहित की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।**
4. आपकी शाला में संपादित की गई प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य के अंकों की आनलाईन प्रविष्टि उपरांत प्रिंट आउट निकालकर संबंधित विषयों के बाह्य परीक्षकों से दो प्रतियॉ में तैयार करावें, जिसमें से एक प्रति ई0पी0 लिफाफा अलग रखवाकर सील बंद कर, तत्काल जिले के समन्वय संस्था को मेसेंजर से भिजवायें। एवं एक प्रति शील बंद कर लिफाफे संस्था कार्यालय में छः माह तक सुरक्षित रखें। समन्वय संस्था गतवर्षानुसार निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा संपन्न होने के उपरांत हाईस्कूल परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के बंडल सफेद कपड़े में एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएँ पीले कपड़े में तैयार कर मण्डल के निर्देशानुसार उत्तरपुस्तिकाएँ को पेकिंग कर बाए कोने में **परीक्षा का नाम विषय का नाम प्रायोगिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकायें – वर्ष 2018 स्पष्ट लिखा जावें।** प्रायोगिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएँ प्रायोगिक परीक्षा संपन्न होने के बाद तुरंत जिले के समन्वय संस्था में जमा करें।
5. प्रायोजना कार्य हेतु.मा0शि0मण्डल द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्ति नहीं की जावेगी।
6. प्रायोजना कार्य का आंतरिक मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाना है।
7. प्रायोजना कार्य के मूल्यांकन उपरांत अंक मा0शि0मण्डल द्वारा निर्धारित तिथि/अवधि में अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि किया जावें।
8. आपकी शाला में बाह्य परीक्षक द्वारा ली जाने वाली प्रायोगिक परीक्षा की तिथि के बाद 10 दिवस में अनिवार्यतः अंक समन्वय संस्था को मण्डल के निर्देशानुसार भेजे जायें। किन्तु यह भी सुनिश्चित करें कि

क्रमशः 02

शाला में संपन्न हुई प्रायोगिक परीक्षा के सभी विषय/विषयों के अंक अनिवार्यतः **दिनांक 25 फरवरी 2018** तक संबंधित समन्वय संस्था को भेज दिए जाए **यदि 25 फरवरी 2018 के बाद समन्वय संस्था में अंक प्राप्त होते है, तो संबंधित शाला से प्रति दिन रूपये 200.00 की दर से विलंब शुल्क लिया जाएगा। समय–सीमा पश्चात् विलम्ब से प्राप्त अंको को अमान्य करने पर भी विचार किया जा सकता हैं, ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों के अहित की जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।**

9. अंको को भेजते समय प्राचार्य की ओर से इस आशय का घोषणा पत्र भी समन्वय संस्था को दें, कि शाला के सभी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएँ मण्डल द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षको द्वारा ली जा चुकी है और कोई भी विषय की प्रायोगिक परीक्षा प्रायोजना कार्य होना हेतु शेष नहीं हैं, तथा प्रायोगिक परीक्षा की लिखी उत्तरपुस्तिका जिले के समन्वय संस्था में जमा की जा चुकी हैं।

विशेष :–

1. कृपया अंकित करे कि प्रायोगिक परीक्षा हेतु आपकी संस्था पर आबंटित परीक्षार्थी के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी रूपये 3.00 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु रूपयें 4.00 की दर से (बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक हेतु अलग–अलग) अग्रिम राशि का भुगतान किया गया हैं। **जिसके व्यय का हिसाब मय प्रमाणित व्हाउचर के आपको पृथक से वित्ताधिकारी छ.ग.मा.शि.मं., रायपुर की ओर रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा।** प्रायोगिक परीक्षायें सामान्यतः दो पाली में प्रथम पाली 8.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली समय 2.00 बजे से 5.00 बजे के बीच संचालित की जाये। **प्रायः देखा गया है कि प्रायोगिक परीक्षा के अंक उत्तरपुस्तिका के बण्डल में भेज देते हैं जिससे परीक्षार्थी का परीक्षाफल प्रभावित होता है इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि प्रायोगिक परीक्षा के अंक पृथक से निर्धारित लिफाफें में भेजा जाये।**

टीप :–**(1) विषय–पर्यावरण के प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक परीक्षा के अंक परीक्षा सम्पन्न होने के बाद दोनो परीक्षा के अंक एक साथ जमा किया जाना हैं। जिसके लिए पृथक से निर्देश जारी किया गया हैं।**

(2) लेखक/प्रवाचक (Reader)/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा उसकी मांग के आधार पर उपलब्ध करावें।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृ. क्रमांक/ 9629 /गोपनीय/2017 रायपुर, दिनांक 19/12/2017

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग , रायपुर छ0ग0।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
6. समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग छ0ग0।
7. लेखा अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर की ओर भेज कर लिखा जाता है कि समस्त संस्थाओं को प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायें।
8. सहायक सचिव/परीक्षाफल घोषणा/संभागीय अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं. राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. प्राचार्य, समस्त जिला समन्वय संस्था शासकीय बहु0 उ0मा0वि0 शालायें छ0ग0 की ओर भेजकर लिखा जाता है, कि जिला मुख्यालय छ.ग. में प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य के अंको के लिफाफे सूचीबद्ध कर रखे मण्डल अधिकारी/कर्मचारियों को सौंपने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। प्रायोगिक परीक्षा की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका समन्वय संस्था में जमा किया जाना है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त लिफाफे कतई स्वीकार नहीं किये जायेगें। जिन संस्थाओं की ओर से प्रायोगिक अंक के लिफाफे अप्राप्त है उनकी सूची तैयार कर रखें। तथा मण्डल के अधिकारी/कर्मचारी को सौंपेंगे।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर